संख्या- 105 /2016 /2031/24-1-16-2031(बजट)/2016

प्रेषक:

सुरेश कुमार शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 03 अक्टूबर, 2016**

विषय:-उपभोक्ताओं से वसूले गये शमन शुल्क को राज्य सरकार के खाते में जमा किये जाने हेतु अतिरक्ति राजस्व अनुदान दिये जाने हेतु समायोजन द्वारा वित्तीय स्वीकृति किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-728/म0प्र0(वित्त)/विप्र-2/298/आय-व्ययक/2016-17, दिनांक 06.09.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्युत वितरण निगमों द्वारा पूर्ववर्ती वर्षों में उपभोक्ताओं से उसूले गये शमन शुल्क की राशि में से रूपये 174,27,00,000/- (रूपये एक सौ चौहत्तर करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) की राशि के समायोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के प्रथम अनुपूरक में 'वन टाइम' अनुदान के रूप में प्राविधानित धनराशि रूपये 174,27,00,000/- (रूपये एक सौ चौहत्तर करोड़ सत्ताईस लाख मात्र) स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष अनुमति प्रदान करते है।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृति धनराशि का आहरण नकद न करके पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या- 426, दिनांक 13 जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाया जायेगा तथा तत्संबंधी बिल ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को प्रतिहस्ताक्षर हेतु उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखाशीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद

http://shasanadesh.up.nic.in

और ऊर्जा विभाग, तथा वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस शासनादेश में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2801-बिजली- आयोजनेत्तर-05-संचरण एवं वितरण- 800- अन्य व्यय-06- यू0पी0पी0सी0एल0/ डिस्कॉम्स द्वारा उपभोक्ताओं से वसूले गये शमन शुल्क के समायोजन हेतु "वन टाइम" अनुदान-20- सहायक अनुदान- सामान्य (गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा तथा लेखाशीर्षक-0801-बिजली-05-संचरण तथा वितरण तथा-800-अन्य प्राप्तियॉ-01-इलेक्ट्रीसिटी एक्ट की धारा-152 के अन्तर्गत शमन (कम्पाउडिंग) के अन्तर्गत जमा की जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-यू0ओ0-212/दस-2016, दिनांक 29 सितम्बर, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

भवदीय,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

संख्या- 105 /2016/2031(1)/24-1-16, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद 211001।

3- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज लखनऊ।

4- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।

5- वित्त (वयय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक)अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार शर्मा
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in